संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/स्था. अविज्ञप्त/174/2020/ 346   अटल नगर, दिनांक 13/08/2020

विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अहर्ता अनुसार रायपुर संभाग हेतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के रिक्त पदों (बैकलॉग पद सहित) पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छ.ग. के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑन-लाईन आवेदन *दिनांक 15.08.2020 से दिनांक 30.08.2020 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक* स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है:-

पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	संभाग	सीधी भर्ती के रिक्त पद																
				कुल रिक्त पद	कुल रिक्तियों वर्गवार				कुल रिक्तियों में महिला वर्गवार				कुल रिक्तियों में भू.पू. सै. वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग वर्गवार (OL, HH)			
					अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अपिव.
मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 (लेवल -07)	तृतीय	रायपुर	50	28	6	9	7	8	1	2	2	2	0	0	0	2	0	1	0
योग:-				50	28	6	9	7	8	1	2	2	2	0	0	0	2	0	1	0

1. **शैक्षणिक योग्यता** – (1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण (2) पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिये या अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिये, जो पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीयन हेतु मान्य हो तथा (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पंजीकृत होना चाहिये।
2. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा** – आयु सीमा 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है, छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. उक्त पद हेतु केवल OL (एक पैर) एवं HH (श्रवण बाधित) दिव्यांग ही पात्र होगें।
4. उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। ऑफ-लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा। भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते, अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की विधि/प्रक्रिया विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

सामान्य नियम एवं शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

1. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होंगे।
2. **शैक्षणिक योग्यता** – (1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण (2) पैथोलॉजी टेक्नीषियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिये या अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिये, जो पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीयन हेतु मान्य हो तथा (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पंजीकृत होना चाहिये। अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण किया जाना होगा। **दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**
3. **न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा** – आयु सीमा 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों/मूल निवासियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। उच्चतर आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश निर्देश लागू होंगे।
4. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिटपिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है, किन्तु किसी परिस्थिति में कुल विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन के समय **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना** आवश्यक होगा।
6. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, नियम, आदेश यथासंशोधित लागू होगें।

   6.1 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

   6.2 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

   6.3 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

   6.4 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 दिनांक 30.01.2019 के द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है।

7. (अ) छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 27/09/2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें **सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत् करना होगा।
(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदो के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) एवं HH (श्रावण बाधित) दिव्यांग ही पात्र होंगे।

8. अनु.जाति. अनु.जनजाति एवं अ.पि.वर्ग हेतु पदों का निर्धारण संभाग में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम/रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। दस्तावेज सत्यापन के समय **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत** करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है। **मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**

10. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को **नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन** के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

11. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में **दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत** करना अनिवार्य होगा।

12. छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं महिला को नियमानुसार आरक्षण दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत** करना अनिवार्य होगा।

14. ऑन-लाईन प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा प्रविष्ठ किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची संवर्गवार तैयार की जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के उस अभ्यार्थी की अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।

15. रायपुर संभाग के संभीय संयुक्त संचालक द्वारा आरक्षण रोस्टर अनुसार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र-अपात्र की सूची जारी कर एवं दावा आपत्ति लेने के उपरान्त चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी। तद्उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

16. प्रतीक्षा सूची वर्गवार/संवर्गवार तैयार किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैद्य रहेगी।

17. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रषासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28.07.2020 के तहत "किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा" एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होंगे।

18. सीधी भर्ती के पदों में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना पूर्णाकों के आधार पर छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3, दिनांक 14.07.2017 निर्देश का पालन किया गया है।

19. **चयन हेतु मापदण्ड** :– शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी –

19.1 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 50 अंक प्रावधानित है।

19.2 पैथोलॉजी टेक्नीशिन पाठ्यक्रम का कुल प्राप्तांकों के प्रतिशतों का 35 अंक प्रावधानित है।

19.3 अनुभव के अंक छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक प्रावधानित है।

20. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट सूची संवर्गवार जारी की जावेगी।

21. ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनों में आवेदक द्वारा प्रविष्ठ किए गए जानकारी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य/गलत पाई जाती हैं तो बिना किसी सूचना के अर्हता समाप्त कर दी जावेगी।

22. आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, जिसकी सूचना आवेदक को पृथक से नहीं दी जावेगी।

23. आवेदक द्वारा ऑन–लाईन आवेदन भरते समय समस्त जानकारी स्वयं जांच कर ले एवं **आन–लाईन भरे गए आवेदन का प्रिंट आऊट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन–लाईन अनिवार्य रूप से अपलोड़ किया जाना होंगा। (आवेदक अपना ऑन–लाईन आवेदन पूर्ण रूप से भर लेवें, उसके पश्चात् भरे गये फार्म का प्रिंट आउट निकाल लेवे, उक्त फार्म को स्वहस्ताक्षरित कर स्कैन करते हुए ऑन–लाईन आवेदन के साथ संलग्न कर अपलोड करेगें।)**

24. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गयी जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे एवं चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करे, आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

25. आवेदक अपना आवेदन करने के पूर्व विज्ञापनों में दिए गए नियम एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन भरे, भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र–अपात्र की सूची, मेरिट सूची एवं भर्ती के संबंध में अन्य समस्त जानकारी केवल **विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दी जावेगी।

26. **विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन** :– इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थियों पर बंधनकारी होगा।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़